उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-25/2026-सा0-81/38-2-2026
लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी, 2026

<u>अधिसूचना</u>

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राज्य व जिला स्तरीय दिशा समितियों हेतु निर्गत मार्गदर्शिका-2022 में राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (राज्य स्तरीय दिशा) से संबन्धित प्रस्तर- 3(i) से 3(xiv) के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित विकास योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा हेतु मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महामहिम श्री राज्यपाल निम्नानुसार राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (राज्य स्तरीय दिशा) का गठन करते है:-

राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (राज्य स्तरीय दिशा)		
1.	मा० मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	मा0 उप मुख्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग	सह-अध्यक्ष
3.	**मा0 संसद सदस्य (ग्रा0वि0 मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनोनीत)**	
(1)	श्रीमती अनुप्रिया पटेल, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(2)	एडवोकेट चन्द्रशेखर, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(3)	डॉ0 स्वामी सचिदानंद हरि साक्षी, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(4)	श्री जय प्रकाश, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(5)	श्री किशोरी लाल, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(6)	डॉ0 राजकुमार सांगवान, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(7)	श्री अखिलेश यादव, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(8)	श्रीमती डिम्पल यादव, मा0 सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(9)	श्री संजय सेठ, मा0 सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
(10)	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, मा0 सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
(11)	श्री रामजी, मा0 सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
(12)	प्रो0 राम गोपाल यादव, मा0 सदस्य, राज्य सभा	सदस्य

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.	**मा0 सदस्य विधान मण्डल (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)**	
(1)	श्री राजीव तरारा, मा0 सदस्य, विधान सभा	सदस्य
(2)	श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा	सदस्य
(3)	श्री प्रेमसागर पटेल, मा0 सदस्य, विधान सभा	सदस्य
(4)	श्री भूपेश चौबे, मा0 सदस्य, विधान सभा	सदस्य
(5)	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', मा0 सदस्य, विधान सभा	सदस्य
(6)	श्री उमाशंकर सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा	सदस्य
(7)	श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(8)	श्री साकेत मिश्रा, मा0 सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(9)	श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
8.	मार्गदर्शिका के **प्रस्तर-5** में इंगित भारत सरकार की योजनाओं से सम्बन्धित राज्य सरकार के संगत विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य सचिव
10.	चीफ पोस्ट मास्टर जनरल।	सदस्य
11.	निदेशक, संस्थागत वित्त	सदस्य
12.	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	सदस्य
13.	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महिला कल्याण निगम	सदस्य
14.	राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एस0एल0बी0सी0) के संयोजक बैंक के प्रबंध निदेशक।	सदस्य
15.	क्षेत्र अधिकारी के रूप में राज्य से सम्बन्धित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
16.	**(ग्रा0वि0 मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनोनीत)** 1. श्री श्रीकृष्ण गौतम 2. डॉ0 जुबैद उर रहमान 3. श्रीमती रितु सिंह 4. श्री संजीव कुमार 5. श्री अंकुर वर्मा	गैर सरकारी सदस्य

2- नियम व शर्तें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

I. राज्य स्तरीय DISHA समिति द्वारा जिला स्तरीय DISHA समिति में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। यह समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सभी विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, निगरानी एवं अनुश्रवण करेगी।

ii. समिति राज्य सरकार और स्थानीय सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगाए गए मानव संसाधनों की तैनाती और प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी।

iii. समिति कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का समाधान करेगी और अनुमोदित कार्यक्रमों के डिजाइन में सुधार करने या मध्यांतर में संशोधन करने के लिए सुझाव देगी।

iv. समिति विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संबंध में राज्य के दायित्वों की पूर्ति में निधियों के प्रवाह की समीक्षा करेगी।

v. समिति विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली समस्याओं की समीक्षा करेगी ताकि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के संबंध में राज्य अधिकारियों द्वारा आवश्यक मंजूरी देने में समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके और यदि कोई भूमि संबंधी मुद्दे हों तो उनका समाधान किया जा सके।

vi. समिति निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में संसाधनों की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय पहलों की गहन निगरानी करेगी।

vii. समिति कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों/कथित अनियमितताओं की जांच करेगी, जिसमें लाभार्थियों के गलत चयन, धन के दुरुपयोग/डायवर्जन की शिकायतें शामिल हैं, और अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

viii. समिति विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को धन प्रवाह हेतु डीबीटी के कार्यान्वयन और आधार से जुड़े खातों के उपयोग के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश देगी।

ix. समिति केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुद्दों की पहचान करेगी।

X. यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति DISHA के अंतर्गत निगरानी किए जा रहे कार्यक्रमों से संबंधित किसी भी मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय को संदर्भित करेगी, जो बदले में कार्रवाई का समन्वय करेगा और तदनुसार संबंधित DISHA समिति को सूचित करेगा।

xi. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला।

समिति की बैठकें कम से कम हर छह महीने में एक बार होंगी तथा विहित प्रपत्र में यथा-स्थिति प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) का कार्यकाल ग्रामीण, विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुनर्गठन/संशोधन के आदेश/निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी माना जायेगा।

3- राज्य स्तरीय दिशा समिति की मार्ग निर्देशिका-2022 के पैरा–5 में वर्णित भारत सरकार की सभी गैर सांविधिक योजनाऐं राज्य स्तरीय दिशा समिति द्वारा कवर की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिशा द्वारा कवर किये जाने वाले कार्यक्रमों की अद्यतन सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा डैशबोर्ड **https://disha.gov.in** पर देखी जा सकती है। समिति द्वारा समीक्षा किये जाने वाले किसी भी केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम/योजना को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का है।

सौरभ बाबू
प्रमुख सचिव

संख्या-25/2026-सा0-81(1)/38-2-2026 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) विशेष कार्याधिकारी, महामहिम राज्यपाल उ0प्र0।
(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।
(6) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित मा0 संसद सदस्यगण।
(7) राज्य सरकार द्वारा नामित विधान मण्डल, उ0प्र0 के मा0 सदस्यगण।
(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(9) स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(10) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(11) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0।
(12) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
(13) आर्थिक सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग (दिशा प्रभाग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(14) राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) में नामित अन्य समस्त सदस्यगण।
(15) ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग
(16) गार्ड फाईल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in